



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072025-264482
CG-DL-E-09072025-264482

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 489]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 8, 2025/आषाढ़ 17, 1947

No. 489]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 8, 2025/ASHADHA 17, 1947

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 18 जून 2025

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने के लिए अनुदेश के न्यूनतम मानदंड)
विनियम, 2025

संदर्भ क्रम मिसिल सं० 1-3/2021 (क्यूआईपी/मल्टीपल एंट्री-एग्जिट) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा (1) के अनुच्छेद (च) एवं (छ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और यू.जी.सी (स्नातक डिग्री, और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम शिक्षण मानक) विनियम, 2025, को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग-III, धारा-4 में अधिसूचना संख्या 271 दिनांक 04.04.2025 के तहत प्रकाशित किया गया है। चूंकि हिंदी संस्करण पेज संख्या 1 में मसौदा शब्द का उल्लेख किया गया है अतः प्रकाशित सूचना में छपी हुई त्रुटि को दूर करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :

वर्तमान व्याख्यान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने

के लिए अनुदेश के न्यूनतम मानदंड)

मसौदा विनियम, 2025

संशोधित व्याख्यान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने

के लिए अनुदेश के न्यूनतम मानदंड)

विनियम, 2025

प्रो. मनीष आर. जोशी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./222/2025-26]